भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :266

उत्तर देने की तारीख :02.12.2025

नशीली दवाओं की बढ़ती लत

266. श्री राजकुमार रोतः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजाति-बहुल क्षेत्रों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या और इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार के खतरनाक नशीले पदार्थ प्रचलित हैं और उनके आपूर्तिकर्ताओं का नाम-वार और ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के जनजाति-बहुल क्षेत्रों में नशे की लत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में कठोर कानून बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा(

(क): देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या की भयावहता का आकलन करने और जानने के लिए, भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की भयावहता पर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। उपलब्ध आंकड़े 10-17 वर्ष और 18-75 वर्ष के आयु वर्ग के लिए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों का सेवन करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्याप्तता (% में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

नशीले पदार्थ	बच्चे और किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	सेवन करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या	व्यापकता (% में)	सेवन करने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
शराब	1.30	30,00,000	17.10	15,10,00,000
भांग	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
ओपिओइड	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
शामक	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इनहेलेंट	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
विभ्रांति उत्पादक	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार,

i. व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग के लिए ड्रग्स रखने और

ii. तस्करी के लिए ड्रग्स रखने

सहित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत 2021-23 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले और गिरफ्तार व्यक्ति तथा जिला-वार (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान) दर्ज मामले को क्रमश: **संलग्नक-I और II** में दिया गया है। ब्यूरो केवल जिला स्तर पर दर्ज मामलों को एकत्र करता है। नवीनतम प्रकाशित डेटा वर्ष 2023 से संबंधित है।

(ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अफीम, पोस्ता स्ट्रॉ, गांजा और हेरोइन की प्रचालन अधिक मात्रा में है। इन जिलों में एनडीपीएस अधिनियम में कुल 71 मामले दर्ज किए गए और पिछले दो वर्षों यानी 2023 और 2024 में 120 गिरफ्तारियां की गईं।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे से निपटने के लिए, इस विभाग ने ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और उसे कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीले पदार्थों की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन।

ii. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), किशोरों के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित

सहकर्मी के नेतृत्व में पहल (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ'; और

iii. नशामुक्ति उपचार सुविधा (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

एनएपीडीडीआर योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु 349 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) खोले गए हैं, जो नशीले पदार्थों के आदि व्यक्तियों को परामर्श, डीटॉक्सीफिकेशन/नशामुक्ति, ऑफ्टर केयर और सामाजिक मुख्यधारा में पुन: एकीकरण के साथ रोगी को भर्ती करके उपचार करते हैं।

ii. 45 समुदाय आधारित सहकर्मी के नेतृत्व में पहल (सीपीएलआई) कार्यक्रम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ ड्रग्स के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल सिखाने के लिए काम करते हैं।

iii. 76 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) जो स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और उसके बाद उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और लिंकेज प्रदान करते हैं।

iv. सरकारी अस्पतालों में 154 नशामुक्ति उपचार सुविधा (एटीएफ)।

v. 139 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) जो एक ही छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीन सुविधाएं प्रदान करते हैं।

vi. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंच में आसानी के लिए जियो-टैग किया गया है।

vii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 मेन्टेन किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती है। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.3 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

viii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छात्रों (6वीं -11वीं कक्षा), शिक्षकों और माता-पिता को नशीले पदार्थों पर निर्भरता, इसका सामना करने के लिए कार्यनीतियों और जीवन कौशल के संबंध में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए):

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) को 15 अगस्त, 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान देने के साथ जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान देने के साथ जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

ii. अब तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 8.7+ करोड़ युवाओं और 6.0+ करोड़ महिलाओं सहित 24.9+ करोड़ लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में जागरूक किया गया है। 12.15+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

iii. एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रहमकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

iv. एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

v. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) पर प्रयोक्ता/व्यूवर के लिए इस अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है।

vii. विभाग नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों के सहयोग से नियमित कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

(घ): राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित एनडीपीएस अधिनियम, 1985 स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन और उपयोग को विनियमित करने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए वर्तमान में लागू एक व्यापक विधान है। इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए कड़े सांविधिक प्रावधान हैं, जबकि विशेष रूप से चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कुछ पदार्थों के उपयोग की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है और अवैध दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास का प्रावधान है और नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों का त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान है।

<u>संलग्नक-।</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 266, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-।

2021 से 2023 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्यवार दर्ज मामले (सीआर) और गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021						2022						2023					
		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)		तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)		तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)		तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)		स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	
		सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर
1	राजस्थान	1018	1975	1971	4149	2989	6124	1393	2282	2428	4705	3821	6987	1870	2686	3088	4965	4958	7651
2	गुजरात	200	467	261	479	461	946	211	471	297	528	508	999	203	411	358	719	561	1130
3	मध्य प्रदेश	2109	770	1959	3159	4068	3929	2642	559	2169	2834	4811	3393	1452	510	2368	3386	3820	3896
4	महाराष्ट्र	8583	10336	1504	2382	10087	12718	12286	14182	1544	2595	13830	16777	13075	13158	2535	3488	15610	16646

स्रोत: भारत में अपराध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 266, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-II

2021-2023 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले										
क्र.सं.	जिला	2021			2022			2023		
		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)
राज्य: गुजरात										
1	अहमदाबाद शहर	41	0	41	60	0	60	77	1	78
2	अहमदाबाद ग्रामीण	20	0	20	13	0	13	0	24	24
3	अमरेली	2	3	5	1	9	10	1	6	7
4	आनंद	1	10	11	0	10	10	0	13	13
5	अरवल्ली	1	1	2	0	7	7	2	2	4
6	बनासकांठा	0	52	52	0	13	13	0	20	20
7	भरूच	1	6	7	5	11	16	6	4	10
8	भावनगर	3	10	13	2	8	10	2	10	12
9	बोटाद	1	1	2	4	0	4	2	0	2
10	छोटा उदयपुर	0	9	9	1	6	7	0	4	4
11	सीआईडी अपराध	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	दाहोद	0	5	5	0	9	9	0	10	10
13	डांग	0	0	0	1	0	1	0	0	0
14	देवभूमि द्वारका	0	6	6	1	5	6	2	5	7
15	गांधीनगर	2	2	4	2	4	6	2	3	5
16	गिर सोमनाथ	0	1	1	0	7	7	6	0	6
17	जामनगर	11	0	11	10	0	10	0	16	16
18	जूनागढ़	2	3	5	1	10	11	1	8	9
19	कच्छ पूर्व (जी)	0	8	8	0	12	12	0	8	8
20	कच्छ पश्चिम (B)	0	17	17	0	15	15	0	16	16
21	खेड़ा	1	0	1	7	0	7	8	0	8
22	महिसागर	5	0	5	2	0	2	1	0	1
23	मेहसाणा	6	3	9	6	4	10	10	1	11

24	मोरबी	2	1	3	3	8	11	10	6	16
25	नर्मदा	0	6	6	3	11	14	4	1	5
26	नवसारी	0	3	3	0	5	5	0	4	4
27	पंचमहल	0	9	9	0	13	13	0	14	14
28	पाटन	0	6	6	1	5	6	1	8	9
29	पोरबंदर	2	2	4	5	0	5	4	2	6
30	राजकोट शहर	34	0	34	18	8	26	0	26	26
31	राजकोट ग्रामीण	18	6	24	20	0	20	12	9	21
32	साबरकांठा	1	4	5	9	0	9	0	6	6
33	सूरत शहर	25	0	25	34	0	34	42	0	42
34	सूरत ग्रामीण	0	14	14	2	13	15	0	16	16
35	सुरेंद्रनगर	0	13	13	0	20	20	0	18	18
36	तापी	0	0	0	0	2	2	1	1	2
37	वडोदरा शहर	21	22	43	0	21	21	7	27	34
38	वडोदरा ग्रामीण	0	8	8	0	12	12	0	11	11
39	वलसाड	0	11	11	0	8	8	0	9	9
40	डब्ल्यू रेलवे अहमदाबाद	0	8	8	0	12	12	2	14	16
41	डब्ल्यू रेलवे वडोदरा	0	11	11	0	29	29	0	33	33
42	साइबर अहमदाबाद रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	साइबर भावनगर रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	साइबर बॉर्डर रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साइबर गांधीनगर रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	साइबर जूनागढ़ रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	साइबर पंचमहल रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	साइबर राजकोट रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	साइबर सूरत रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	साइबर वडोदरा रेंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**200**	**261**	**461**	**211**	**297**	**508**	**203**	**358**	**561**
स्रोत: भारत में अपराध										

संलग्नक-II

2021-2023 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले

क्र.सं.	जिला	2021			2022			2023		
		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)
राज्य: मध्य प्रदेश										
1	अगर	11	20	31	29	3	32	0	31	31
2	अलीराजपुर	0	0	0	0	5	5	0	0	0
3	अनूपपुर	11	14	25	14	26	40	16	18	34
4	अशोक नगर	30	0	30	5	0	5	33	0	33
5	बालाघाट	0	8	8	0	10	10	0	14	14
6	बड़वानी	0	15	15	0	31	31	9	23	32
7	बैतूल	0	15	15	6	23	29	0	16	16
8	भिंड	17	0	17	42	0	42	38	0	38
9	भोपाल कमीशनरेट	101	22	123	49	31	80	69	43	112
10	भोपाल रेलवे	5	0	5	0	0	0	0	17	17
11	बुरहानपुर	4	3	7	4	4	8	6	4	10
12	छतरपुर	20	7	27	22	6	28	17	6	23
13	छिंदवाड़ा	0	26	26	0	17	17	0	23	23
14	दमोह	0	25	25	0	25	25	0	17	17
15	दतिया	0	11	11	0	31	31	0	24	24
16	देवास	36	7	43	74	1	75	23	80	103
17	धर	25	13	38	44	41	85	51	36	87
18	डिंडोरी	6	2	8	3	4	7	3	0	3
19	गुना	0	65	65	0	73	73	1	60	61
20	ग्वालियर	34	99	133	49	116	165	43	77	120
21	हरदा	0	15	15	0	28	28	0	33	33
22	नर्मदापुरम	0	22	22	0	46	46	0	45	45
23	इंदौर कमिश्नरेट	1468	92	1560	1629	116	1745	526	158	684
24	इंदौर रेलवे	0	7	7	0	2	2	0	6	6
25	जबलपुर	0	75	75	9	57	66	0	75	75
26	जबलपुर रेलवे	0	12	12	0	14	14	0	20	20
27	झाबुआ	31	6	37	38	21	59	45	17	62

28	कटनी	0	49	49	0	51	51	0	73	73
29	खंडवा	11	0	11	27	0	27	32	0	32
30	खरगोन	3	16	19	12	19	31	16	35	51
31	मंडला	0	14	14	2	11	13	4	24	28
32	मंदसौर	0	103	103	0	148	148	0	164	164
33	मुरैना	5	21	26	10	28	38	0	17	17
34	नरसिंहपुर	0	84	84	0	75	75	0	137	137
35	नीमच	0	81	81	0	105	105	0	107	107
36	पन्ना	0	37	37	0	43	43	0	27	27
37	रायसेन	0	0	0	0	0	0	27	0	27
38	राजगढ़	0	45	45	0	48	48	0	54	54
39	रतलाम	0	30	30	0	26	26	1	61	62
40	रीवा	0	233	233	0	222	222	0	153	153
41	सागर	26	2	28	23	1	24	17	0	17
42	सतना	0	99	99	0	194	194	0	154	154
43	सिवनी	0	47	47	0	31	31	0	37	37
44	शहडोल	0	93	93	32	58	90	32	32	64
45	शाजापुर	1	10	11	9	7	16	4	12	16
46	श्योपुर	129	22	151	139	23	162	183	13	196
47	शिवपुरी	0	114	114	0	130	130	0	56	56
48	सीधी	0	83	83	76	1	77	29	111	140
49	सीहोर	1	16	17	14	17	31	7	9	16
50	सिंगरौली	123	63	186	121	94	215	131	96	227
51	टीकमगढ़	0	4	4	4	4	8	0	20	20
52	उज्जैन	5	34	39	35	22	57	5	33	38
53	उमरिया	6	11	17	9	20	29	4	14	18
54	विदिशा	0	58	58	0	32	32	0	49	49
55	साइबर क्राइम सेल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	निवाड़ी	0	9	9	0	26	26	0	27	27
57	भोपाल ग्रामीण				2	1	3	3	5	8
58	इंदौर ग्रामीण				110	1	111	77	5	82
कुल		**2109**	**1959**	**4068**	**2642**	**2169**	**4811**	**1452**	**2368**	**3820**

2021-2023 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले

क्र.सं.	जिला	2021			2022			2023		
		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)
राज्य: महाराष्ट्र										
1	अहमदनगर	10	7	17	61	8	69	157	15	172
2	अकोला	0	61	61	0	36	36	0	16	16
3	अमरावती कॉमर	0	11	11	3	14	17	24	13	37
4	अमरावती ग्रामीण	0	21	21	4	9	13	13	6	19
5	छत्रपति संभाजीनगर कॉमर	1	23	24	4	37	41	39	31	70
6	छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण	0	7	7	1	11	12	6	7	13
7	बीड	0	7	7	2	5	7	1	21	22
8	भंडारा	8	4	12	15	0	15	29	3	32
9	बुलढाणा	2	10	12	7	7	14	22	10	32
10	चंद्रपुर	0	22	22	0	12	12	0	29	29
11	धुले	37	0	37	18	14	32	17	10	27
12	गढ़चिरौली	3	0	3	2	1	3	4	7	11
13	गोंदिया	2	3	5	0	6	6	0	62	62
14	हिंगोली	5	0	5	7	0	7	14	0	14
15	जळगाव	1	9	10	1	12	13	73	17	90
16	जालना	11	0	11	10	0	10	5	0	5
17	कोल्हापूर	23	9	32	33	5	38	53	13	66
18	लातूर	2	4	6	4	1	5	10	2	12
19	मुंबई कॉम	6494	595	7089	10264	782	11046	9933	1413	11346
20	मुंबई रेलवे	149	10	159	7	3	10	11	6	17
21	नागपुर कॉम	163	175	338	138	142	280	255	181	436
22	नागपुर	0	26	26	0	25	25	0	20	20

	समग्र रेल-तंत्र									
23	नागपुर ग्रामीण	22	12	34	17	2	19	15	6	21
24	नांदेड़	0	6	6	0	6	6	0	9	9
25	नंदुरबार	13	1	14	7	1	8	9	0	9
26	नासिक कॉम	12	1	13	24	3	27	1	15	16
27	नासिक ग्रामीण	5	9	14	7	5	12	15	17	32
28	नवी मुंबई	57	31	88	118	31	149	201	89	290
29	धराशिव	2	8	10	0	9	9	0	8	8
30	पालघर	2	1	3	9	10	19	5	17	22
31	परभणी	3	8	11	0	6	6	0	5	5
32	पुणे कॉम्न	51	56	107	66	83	149	64	70	134
33	पुणे रेलवे	0	4	4	9	3	12	6	10	16
34	पुणे ग्रामीण	9	26	35	9	13	22	167	31	198
35	रायगढ़	15	4	19	14	0	14	18	1	19
36	रत्नागिरी	21	1	22	12	0	12	43	3	46
37	सांगली	35	9	44	32	10	42	16	25	41
38	सातारा	15	5	20	28	4	32	29	9	38
39	सिंधुदुर्ग	4	1	5	3	0	3	10	0	10
40	सोलापुर कॉमर	29	0	29	12	2	14	2	1	3
41	सोलापुर ग्रामीण	9	67	76	5	29	34	1	22	23
42	ठाणे कॉम	475	59	534	500	50	550	931	90	1021
43	ठाणे ग्रामीण	10	1	11	2	2	4	6	4	10
44	वर्धा	36	0	36	33	1	34	61	3	64
45	वाशिम	0	4	4	6	1	7	2	0	2
46	यवतमाल	2	4	6	4	0	4	52	23	75
47	पिंपरी चिंचवाड़ शहर	68	40	108	64	35	99	68	44	112
48	छत्रपति संभाजीनगर रेलवे	1	0	1	7	0	7	2	0	2
49	मीरा भायंदर वसई विरार कॉम	776	142	918	717	108	825	685	151	836
कुल		**8583**	**1504**	**10087**	**12286**	**1544**	**13830**	**13075**	**2535**	**15610**

स्रोत: भारत में अपराध

2021-2023 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले

क्र.सं.	जिला	2021			2022			2023		
		व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)	व्यक्तिगत सेवन/ उपभोग के लिए ड्रग्स रखना (क)	तस्करी के लिए ड्रग्स रखना (ख)	स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम (कुल) (क + ख)
राज्य: राजस्थान										
1	अजमेर	20	72	92	48	41	89	58	20	78
2	अलवर	48	0	48	38	0	38	38	0	38
3	बांसवाड़ा	19	0	19	17	0	17	18	0	18
4	बरन	76	6	82	70	10	80	23	70	93
5	बाड़मेर	64	10	74	107	20	127	111	11	122
6	भरतपुर	0	7	7	0	8	8	0	7	7
7	भीलवाड़ा	0	85	85	0	146	146	0	125	125
8	बीकानेर	119	0	119	217	0	217	325	0	325
9	बूंदी	48	0	48	89	0	89	120	0	120
10	चित्तौड़गढ़	0	204	204	0	218	218	0	280	280
11	चुरू	15	61	76	0	106	106	0	107	107
12	दौसा	27	0	27	46	0	46	59	0	59
13	धौलपुर	0	7	7	0	6	6	0	4	4
14	डूंगरपुर	13	0	13	15	0	15	14	3	17
15	जीआरपी अजमेर	1	6	7	4	25	29	0	30	30
16	जीआरपी जोधपुर	10	1	11	5	0	5	10	3	13
17	गंगानगर	87	222	309	132	261	393	108	261	369
18	हनुमानगढ़	7	223	230	48	263	311	71	288	359
19	जयपुर पूर्व	117	2	119	87	3	90	116	22	138
20	जयपुर उत्तर	0	117	117	0	176	176	0	177	177
21	जयपुर ग्रामीण	27	29	56	16	20	36	24	13	37
22	जयपुर दक्षिण	23	48	71	14	57	71	19	81	100

23	जयपुर पश्चिम	19	99	118	0	114	114	0	118	118
24	जैसलमेर	28	3	31	18	1	19	35	5	40
25	जालोर	0	82	82	0	103	103	0	65	65
26	झालावाड़	31	93	124	35	83	118	43	107	150
27	झुंझुनू	11	0	11	20	0	20	24	0	24
28	जोधपुर पूर्व	0	36	36	4	66	70	2	71	73
29	जोधपुर पश्चिम	43	1	44	67	0	67	69	8	77
30	जोधपुर ग्रामीण	9	85	94	95	16	111	20	64	84
31	करौली	46	0	46	47	0	47	53	0	53
32	कोटा शहर	7	73	80	13	80	93	51	106	157
33	कोटा ग्रामीण	0	68	68	0	117	117	19	114	133
34	नागौर	0	56	56	0	126	126	0	174	174
35	पाली	0	69	69	0	86	86	0	107	107
36	प्रतापगढ़	0	59	59	3	75	78	24	69	93
37	राजसमंद	11	27	38	21	38	59	33	28	61
38	सवाई माधोपुर	19	0	19	14	0	14	23	0	23
39	सीकर	8	12	20	20	14	34	21	20	41
40	सिरोही	0	44	44	0	69	69	0	70	70
41	टोंक	31	0	31	46	0	46	66	0	66
42	उदयपुर	17	61	78	20	78	98	15	112	127
44	जयपुर मेट्रो	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	एससीआरबी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	एटीएस और एस ओजी	0	3	3	0	2	2	0	1	1
47	एसएसबी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	जयपुर क्राइम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	भिवाड़ी	17	0	17	17	0	17	15	6	21
50	ब्यावर							37	0	37
51	डिडवाना-कुचमन							13	2	15
52	केकरी							12	22	34
53	शाहपुरा							0	26	26
54	डीग							0	3	3

55	गंगापुर शहर							18	0	18
56	अनूपगढ़							73	84	157
57	डूडू							11	2	13
58	खैरताल-तिजारा							2	5	7
59	कोटपुतली-बहरोड़							11	17	28
60	बालोत्रा							22	35	57
61	फलोदी							20	64	84
62	जोधपुर अपराध							0	0	0
63	सांचौर							0	70	70
64	नीम का थाना							24	3	27
65	सलम्बर							0	8	8
कुल		**1018**	**1971**	**2989**	**1393**	**2428**	**3821**	**1870**	**3088**	**4958**

स्रोत: भारत में अपराध

*****